भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES**

File No. Odisha/1/Rourkela Steel Plant/2016/RU-III

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक /Dated: **26.07.2017**

To,

1 Shri Aditya Prasad Padhi,
Chief Secretary,
Govt. of Odisha,
Secretariat, Bhubaneswar,
Odisha

2 Shri A.Prakash,
Director,
Ministry of Steel,
Udyog Bhavan,
New Delhi - 110107

3. Shri P.K. Singh,
Chairman,
Steel Authority of India Limited,
Ispat Bhawan, Lodi Road,
New Delhi– 110003

4. Shri Ashwani Kumar
CEO,
Rourkela Steel Plant,
District-Sundargarh
Odisha

Sub: Proceeding of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on 20.06.2017 in the matter of representation of Shri Lachhu Oram and Others persons displaced for establishment of Rourkela Steel Plan (erstwhile Hindustan Steel Plant.)

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Chairperson, NCST, on 20.06.2017 for taking necessary action. The compliance report in the matter may please be furnished to the Commission immediately.

Yours faithfully,

3729-34
26/7/17
ISSUED

(S. P. Meena)
**Assistant Director**

Copy to:

1. Collector, District- Sundargarh, Odisha.
2. Shri Lachhu Oram, Rourkela Steel Plant & Marshalling Yard Displaced Committee, Vill- Tangrapali, Po- Rourkela, District Sundargarh-769007, Odisha.
3. NIC, NCST uploaded on the web site.

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

**(F.No. Odisha/1/RSP/2016/RU-III)**

श्री लच्छू उरांव और अन्य के अभ्यावेदन राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 20.06.2017 का कार्यवृत।

---

बैठक की तिथि : 20.06.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

**अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 22.02.2016 से 24.02.2016 का दौरा रिपोर्ट एवं दिनांक 17.10.2016 और दिनांक 16.05.2017 को आयोग में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में।**

श्री लच्छू उरॉव और अन्य जिला–सुन्दरगढ़, ओड़िशा के द्वारा आयोग को राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विस्थापित होने, उनकी जमीन के बदले में जमीन तथा मुआवजा न मिलने एवं विस्थापितों के परिवार के सदस्यों को रोजगार न मिलने के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री नन्द कुमार साय ने इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, ओडिशा प्रशासन और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के साथ दिनांक 16.05.2017 को चर्चा की गई थी जिसमें आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के अनुसरण में दिनांक 20.06.2017 को मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार, अध्यक्ष, भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राउरकेला इस्पात संयंत्र के साथ चर्चा की।

**दिनांक 16.05.2017 को आयोजित हुई बैठक में निम्नलिखित अनुशंसाएं दी गई थीः–**

1. राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के परिवारों को रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
2. जिन व्यक्तियों ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के स्थान पर संयंत्र में धोखाधड़ी से रोजगार प्राप्त किया है उनको तुरंत नौकरी से निकाला जाए और उनके स्थान पर पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाए।
3. संयंत्र की स्थापना के लिए जिन व्यक्तियों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनको जमीन के बदले जमीन दी जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि उनको जो जमीन के बदले जमीन दी जा रही है वह उनकी बसाहटों से अधिक दूर न प्रदान की जाए उनकी बसाहटों के नजदीक ही उनको जमीन प्रदान की जाए।
4. संयंत्र की स्थापना के लिए जिन अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की जमीन अधिग्रहण की गई है उनको मुआवजा प्रदान किया जाए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापित की गई पुनर्वास कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल आदि की समस्याओं का निराकरण तुरंत किया जाए।
6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके पूजा स्थल सरना के लिए जमीन प्रदान की जाए, और जिस जगह पर सरना का निर्माण अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने किया हुआ है उसको तोड़ा न जाए।
7. इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार एक कमेटी का गठन करे जिसमें संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी न हो। इस कमेटी की जांच का मुख्य बिन्दु यह हो कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के द्वारा प्राइवेट संस्थाओं को बेची/लीज पर जमीन किस के आदेश से दी गई है। क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्राइवेट संस्थाओं को जमीन दिए जाने से पूर्व भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति ली गई है अथवा नहीं ? कमेटी की रिपोर्ट आयोग को 1 माह के अन्दर भेजी जाए।

## रोजगार के मुद्दे पर

अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से जानना चाहा कि इस्पात संयंत्र की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार देने के संबंध में दिनांक 17.10.2016 को हुई बैठक में आयोग द्वारा रोजगार के विषय में जो अनुशंशाएं दी गई थी उन पर प्रशासन और राउरकेला इस्पात संयंत्र ने क्या कार्रवाई की है? एवं जिन व्यक्तियों ने धोखाधड़ी करके अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्थान पर रोजगार प्राप्त किया है उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

इस संबंध में मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राउरकेला इस्पात संयंत्र ने आयोग को बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो 1098 लोगों को रोजगार प्रदान करने की जो सहमति लिस्ट बनी थी उसमें से 793 व्यक्तियों को रोजगार/नोकरी प्रदान की जा चुकी है और 106 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके बाद उनको भी नोकरी प्रदान कर दी जाएगी। अर्थात 899 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है। बचे हुए 181 व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए दिनांक 16.05.2017 को हुई बैठक के उपरांत 8 जून, 2017 को उडिया समाचार पत्र में रोजगार पाने से वंचित व्यक्तियों के नाम एवं उनकी खाता संख्या के साथ विज्ञापन दिया गया है कि यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो दिनांक 30.06.2017 तक अपना आवेदन जमा करा दे। शेष 18 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में अनेक प्रकार की शासकीय समस्याएं हैं, इसलिए उनको रोजगार से वंचित रखा गया है। कलेक्टर, राउरकेला ने आयोग को अवगत कराया कि 1098 की लिस्ट में ऐसे 161 व्यक्ति हैं जो रोजगार प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

इसी संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने याचिकाकर्ता श्री लच्छू उरॉव को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। श्री लच्छू उरॉव ने आयोग को बताया कि 1098 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, परंतु प्रशासन ने 2006–07 में एक सर्वे किया था जिसमें 1700 और लोगों को चिन्हित किया गया जिनको रोजगार की आवश्यकता बताई गई थी। चिन्हित किए गए 1700 लोगों में 165 को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र से अनुशंसा की मगर आज तक किसी को

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भी रोजगार नहीं दिया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार और राउरकेला इस्पात संयंत्र सं जानकारी मांगनी चाही।

इस संबंध में राज्य सरकार और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि 2006–07 में स्थानीय निवासियों द्वारा आंदोलन किया था। जिसके उपरांत प्रशासन ने सर्वे का क़ार्य किया और पाया कि लगभग 1700 से अधिक लोग इस्पात संयंत्र की स्थापना से विस्थापित हुए हैं और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य सूची 1098 से अधिक हैं। श्री लच्छू उरॉव और 165 लोगों को 2006–07 में किए गए सर्वे के आधार पर ही चिन्हित कर इस्पात संयंत्र से रोजगार देने की अनुशंसा की गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि 1098 में से 899 लोगों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है मगर शेष 188 व्यक्तियों ने रोजगार के लिए आवेदन नहीं किया। राज्य सरकार ने इन 188 व्यक्तियों के स्थान पर 2006–07 में सर्वे के दौरान चिन्हित किए 165 लोगों को रोजगार देने की अनुशंसा इस्पात संयंत्र से की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त जानकारी के उपरांत ओडिशा सरकार एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र को सलाह दी कि बचे हुए लोगों को तुरंत रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई की जाए और जिन व्यक्तियों ने विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के स्थान पर धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त की है उनको तुरंत नौकरी से हटाया जाए और उनके स्थान पर पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नौकरी प्रदान की जाए।

**जमीन के बदले जमीन देने के मुद्दे पर**

अध्यक्ष महोदय ने ओडिशा शासन से जानना चाहा कि दिनांक 16.05.2017 को हुई बैठक में दी गई अनुशंसाओं पर राज्य सरकार और इस्पात संयंत्र ने क्या कार्रवाई की है और जिन व्यक्तियों को उनकी बसाहटों से 150–200 कि.मी. दूर जमीन के बदले जमीन प्रदान की गई है, क्या उन व्यक्तियों को उनकी बसाहटों के समीप जमीन उपलब्ध कराने की कोई कार्रवाई की गई है। आयोग ने राज्य सरकार से यह भी जानना चाहा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने राज्य सरकार को जो 4299 एकड़ जमीन लौटाई है उस जमीन को क्यों न विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दे दिया जाए।

इस संबंध में ओडिशा शासन और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि जिन व्यक्तियों को जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई है उनको जमीन देने की प्रकिया चल रही है, जिसमें कुछ समय लग सकता है। मुख्य सचिव, ओडिशा शासन ने विस्थापित व्यक्तियों को जमीन उनकी बसाहटों से दूर प्रदान का मुख्य कारण बताया कि राउरकेला जिले की आबादी ज्यांदा होने के कारण एवं जिले में कृषि योग्य जमीन की मात्रा कम होने के कारण सभी विस्थापितों को एक ही स्थान पर जमीन के बदले जमीन प्रदान नहीं की गई। अर्थात जहां जमीन उपलब्ध थी उनको जमीन प्रदान की गई है, जमीन प्रदान करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है कि विस्थापितों को उनकी बसाहटों के समीप जमीन प्रदान की जाए और अधिकांश विस्थापितों को उनकी बसाहटों के समीप जमीन के बदले जमीन प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने आयोग को अवगत कराया कि इस्पात संयंत्र ने जो जमीन राज्य सरकार को वापस की है उस पर राज्य ने अनेक प्रकार के विकास कार्य किए हैं, जैसे अस्पताल, कॉलेज एवं बिजलीघर आदि।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त जानकारी पर ओडिशा सरकार एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारों को सलाह दी कि जिन व्यक्तियों को जमीन के बदले जमीन प्रदान नहीं की गई है उनको शीघ्र जमीन प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि इस्पात संयंत्र के लिए 1954 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था परंतु लगभग 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो राज्य सरकार और न ही राउरकेला इस्तात संयंत्र ने विस्थापितों की समस्याओं को देखा। इससे यह आभास हो जाता है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संरक्षण के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे यह अनुसूचित जनजातियों के मध्य एक गंभीर आकोश का विषय बन गया है। अतः आयोग विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के लिए अत्यंत गंभीर रूप से कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। यह अत्यंत खेद का विषय है कि आज तक जिन व्यक्तियों से जमीन ली गई उनके पूनर्वास का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।

**मुआवजा राशि प्रदान करने के मुद्दे पर**

अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार और इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से जानना चाहा कि जिन अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण के उपरांत मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है, उनको नए नियमों के हिसाब से मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए दिनांक 16.05.2017 को आयोजित बैठक में दी गई अनुशंसा पर क्या कार्रवाई की गई है।

इस संबंध में प्रशासन एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र से आए अधिकारियों ने आयोग को बताया कि जिन लोगों को संयंत्र की स्थापना से विस्थापित होने के उपरांत मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है उनको चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें समय की आवश्यकता है। उनको चिन्हित करने के उपरांत तुरंत मुआवजा राशि का वितरण कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों को सलाह दी कि जिन व्यक्तियों को आज तक मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है उनको नए नियम के हिसाब से मुआवजा राशि प्रदान करने की कार्रवाई शीघ्र की जाए।

**अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थल सरना के मुद्दे पर**

अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से जानना चाहा कि दिनांक 16.05.2017 को आयोग में आयोजित बैठक में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके पूजा स्थल सरना के लिए जमीन प्रदान किए जाने के संबंध में की गई अनुशंसा पर क्या कार्रवाई की है।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, सुन्दरगढ़ ने आयोग को अवगत कराया कि 5.52 एकड़ जमीन जो दुर्गापुर मौजा, राउरकेला टाउन यूनिट नं. 43 में है, जिसपर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा पूजा की जाती है, के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। अध्यक्ष महोदय ने मुख्य कार्यकारी निदेशक, राउरकेला इस्पात संयंत्र से जानना चाहा कि क्या उन्होंने सरना के लिए अनापत्ति प्रमाण जारी कर दिया है। मुख्य कार्यकारी निदेशक, राउरकेला इस्पात संयंत्र ने आयोग को अवगत कराया कि इस्पात संयंत्र किसी भी जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाण जारी नहीं करता जब तक कि इस्पात संयंत्र द्वारा गठित समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा नहीं करती। कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, सुन्दरगढ़ द्वारा उक्त भूमि के लिए मांगा गया अनापत्ति प्रमाण पत्र, सत्यापन

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के लिए इस्पात संयंत्र में बनी समिति के पास भेज दिया गया है और समिति की अनुशंसा के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

**अधिग्रहण जमीन को प्रावेट संस्थाओं को बेचने के संबंध में**

अध्यक्ष महोदय ने इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, से जानना चाहा कि दिनांक 16.05.2017 को आयोग में आयोजित बैठक में दी गई अनुशंसाः–

'' इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार एक कमेटी का गठन करे जिसमें संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी न हो। इस कमेटी की जांच का मुख्य बिन्दु यह हो कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के द्वारा प्राइवेट संस्थाओं को बेची/लीज पर जमीन किस के आदेश से दी गई है। क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्राइवेट संस्थाओं को जमीन दिए जाने से पूर्व भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति ली गई है अथवा नहीं ?'' पर क्या कार्रवाई की है।

इस संबंध में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने आयोग को बताया कि मंत्रालय ने अभी इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनाई है। मगर जल्द ही कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

**आयोग की अनुशंसाएं**

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं से चर्चा के बाद आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसाएं दीः–

1. राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के परिवारों को रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
2. जिन व्यक्तियों ने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के स्थान पर संयंत्र में धोखाधड़ी से रोजगार प्राप्त किया है उनको तुरंत नौकरी से निकाला जाए और उनके स्थान पर पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाए।
3. संयंत्र की स्थापना के लिए जिन व्यक्तियों की जमीन अधिग्रहित की गई है उनको जमीन के बदले जमीन दी जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि उनको जो जमीन के बदले जमीन दी जा रही है वह उनकी बसाहटों से अधिक दूर न प्रदान की जाए उनकी बसाहटों के नजदीक ही उनको जमीन प्रदान की जाए।
4. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति अधिग्रहण जमीन पर खेती कर रहे हैं, उनको उस जमीन से हटाया न जाए, और संबंधित अधिकारी इस बात की जानकारी आयोग दें कि ऐसे कितने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं जो अधिग्रहण जमीन पर खेती कर रहे हैं। उनकी सूची बनाकर आयोग को भिजवाएं।
5. संयंत्र की स्थापना के लिए जिन अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की जमीन अधिग्रहण की गई है उनको मुआवजा प्रदान किया जाए।
6. अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापित की गई पुनर्वास कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल आदि की समस्याओं का निराकरण तुरंत किया जाए।
7. अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके पूजा स्थल सरना के लिए राउरकेला इस्तात संयंत्र द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

8. इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 16.05.2017 को आयोग में आयोजित बैठक में दी गई अनुशंसा के आधार पर शीघ्र एक कमेटी का गठन करे जिसमें संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी न हों। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट आयोग को शीघ्र प्रस्तुत की जाए।
9. कलेक्टर, सुन्दरगढ़ को सलाह दी गई कि वह उपरोक्त सभी मामलों को अपने स्तर पर सतर्कता बर्तते हुए कार्यवाही करें।

बैठक की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, ओडिशा सरकार और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से उपरोक्त अनुशंसाओं पर **2 माह** के अन्दर आयोग को की गई कार्रवाई से अवगत कराने की सलाह दी।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

## F.No. Odisha/1/RSP/2016/RU-III

श्री लच्छू ओरांव और अन्य के अभ्यावेदन राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 16.05.2015 का कार्यवृत।

---

बैठक में भाग लेने वाले–

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई वसावा, सदस्य
4. श्री राघव चंद्रा, सचिव
5. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
6. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक,
7. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव

**इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार**

1. श्री ए. प्रकाश, निदेशक

**ओडिशा राज्य सरकार**

1. श्री ए.पी. पढ़ी, मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार
2. श्री चंद्र शेखर कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3. श्री विनीत भारद्वाज, कलेक्टर, सुन्दरगढ़

**राउरकेला इस्पात संयंत्र**

1. श्री अश्वनि कुमार, मुख्य कार्यकारी निदेशक
2. श्री आर.खान, महा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)
3. श्री पी.के. प्रधान, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

**भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड**

1. श्री पी.के. सिंह, अध्यक्ष
2. श्री एस.पी.एस. जग्गी, कार्यकारी निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
3. श्री पवन कुमार,

**अभ्यावेदक**

1. श्री लच्छू उरॉव एवं अन्य